कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर।
क्रमांक : 3 **दिनांक : 14–7–2014**

–: विज्ञप्ति :–

जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के निम्नांकित रिक्त पदों पर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 के अन्तर्गत सीधी भर्ती/नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र उम्मीदवारों से इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों एवं इस सम्बन्ध में प्रभावी नियमों के अनुसार आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं।

इस न्यायक्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों में रिक्त पदों की संख्या, जिनके लिये आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जा रहे हैं :–

1– कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर :–

क्र.सं.	वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या	इस कैलेण्डर वर्ष में सेवानिवृति से और स्वैच्छिक सेवानिवृति से रिक्त होने वाले पदों की संख्या	कुल पद
1–	4 (चार)	2 (दो)	6 (छह)

उपरोक्त सभी पद रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित हैं।

2– पारिवारिक न्यायालय, संख्या 2, जोधपुर :–

क्र.सं.	वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	कुल
1–	6 (छह)	1 (एक)	1 (एक)	4 (चार)	6 (छह)

3– विशेष न्यायाधीश (राज. विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012), जोधपुर :–

क्र.सं.	वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	कुल
1–	4 (चार)	4 (चार)	4 (चार)

4– विशिष्ट न्यायालय (एन. डी. पी. एस. केसेज), जोधपुर महानगर :–

क्र.सं.	वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	कुल
1–	1 (एक)	1 (एक)	1 (एक)

इस प्रकार कुल 17 रिक्त पदों में से 1 (एक) पद अनुसूचित जाति के लिये, 6 (छह) पद अनुसूचित जनजाति के लिये, 1 (एक) पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित है तथा 9 (नौ) पद अनारक्षित वर्ग के हैं।

उपरोक्त रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि एवं कमी हो सकती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अन्तर्जिला न्यायक्षेत्र स्थानान्तरण से भी रिक्त पदों को भरा जा सकता है।

नियमानुसार नियुक्ति के लिये योग्य पाये गये अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अन्तर्गत रनिंग पे–बैण्ड PB-1, 5200-20200, ग्रेड–पे 1700/– रूपये में प्रारम्भतः 2 वर्ष तक राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या अधिसूचना संख्या F-11(7)FD (नियम)/2008 दिनांक 12–9–2008 के नियम 21 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक 5400/– रूपये प्रतिमाह वेतन पर प्रोबेशन ट्रेनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया जाएगा।

प्रारम्भतः दी जाने वाली नियुक्ति अस्थाई तौर पर दी जाएगी जो कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर या सम्बन्धित अभ्यर्थियों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होने पर बिना पूर्व नोटिस के समाप्त की जा सकेगी।

उपरोक्त पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों पर सम्बन्धित नियमों के साथ साथ निम्नलिखित योग्यतायें एवं शर्तें लागू होंगी :–

1– **<u>राष्ट्रीयता</u>** :–
आवेदक भारत का नागरिक हो या राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 के नियम 11 के अनुसार भारत का नागरिक होने हेतु अर्हता प्राप्त हो।

2– **<u>आयु</u>** :–
आवेदक की आयु दिनांक 1–1–2015 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। राज्य कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलायें, विधवा व तलाकशुदा महिलाओं एवं अन्य आरक्षित वर्गो को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय होगी।

3– **<u>शैक्षणिक योग्यता</u>** :–
उक्त पद हेतु आवेदन करने वाले आवेदक को किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से न्यूनतम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना आवश्यक है। इसके अलावा आवेदक को देवनागरी लिपि में हिन्दी पढ़ने व लिखने का व्यावहारिक ज्ञान होना भी आवश्यक है।

4– **<u>चरित्र</u>** :–
(1)– आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे सेवा में नियोजन के लिये अर्हित करे। आवेदक अपने चरित्र के सम्बन्ध में दो उत्तरदायी व्यक्तियों (जो कि उसके रिश्तेदार नहीं हो) के दो

चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा एवं उक्त चरित्र प्रमाण पत्र आवेदक के आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से 6 माह पूर्व के नहीं होने चाहियें।

(2)– प्रत्येक आवेदक आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है एवं उसके विरूद्ध किसी प्रकार का दाण्डिक मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है और यदि आवेदक के विरूद्ध कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लम्बित है तो आवेदक को उक्त मामले का विवरण शपथ पत्र में अंकित करना होगा। आवेदक उक्त शपथ पत्र नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित करवा कर प्रस्तुत करेगा।

5– **<u>शारीरिक योग्यता</u>** :–

आवेदक को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये तथा उसमें किसी प्रकार का कोई शारीरिक अथवा मानसिक दोष नहीं होना चाहिये, जो उसके इस पद के रूप में अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधक हो और आवेदक को इस पद के लिये चयन होने पर उसे सरकार द्वारा तत्प्रयोजनार्थ अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6– **<u>सन्तान सम्बन्धी सूचना</u>** :–

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 के अनुसार ऐसा कोई भी आवेदक जिसके दिनांक 1–6–2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान हो, राज्य सेवा में इस नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। विवाहित आवेदक को दिनांक 1–6–2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान नहीं होने का घोषणा का संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित करवा कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

7– **<u>विवाह पंजीयन</u>** :–

राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प.7(3)कार्मिक/क–2/2006 दिनांक 30–6–2006 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की दशा में आवेदन पत्र में पति/पत्नी के नाम का उल्लेख किया जाएगा एवं आवेदन पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण की प्रति अनिवार्यतः संलग्न की जावे। दिनांक 22–5–2006 से पूर्व विवाहित आवेदक संलग्न प्रारूप–6 में 10/– रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित करवा कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

8– **<u>पेंशन योजना</u>** :–

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(7)एफडी(रूल्स)97 दिनांक 14–1–2004 तथा इस सम्बन्ध में तत्पश्चात् किये गये समस्त संशोधनों के अन्तर्गत नियुक्ति योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थी पर नवीन अंशदायी

पेंशन योजना, मेडिकल अटेण्डेन्ट रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि एवं स्थाई पारितोषण सम्बन्धी सभी नये नियम प्रभावी / लागू होंगें।

9– **<u>आवेदन पत्र</u>** :–
आवेदक को आवेदन पत्र सादे कागज पर सुस्पष्ट लेखन में लिखा हुआ अथवा टंकित किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर आवेदक को अपना पासपोर्ट साईज का फोटो लगा कर उस पर हस्ताक्षर करने होंगें। उक्त के अलावा आवेदक को आवेदन पत्र पूर्ण भर कर हस्ताक्षरित करना होगा। आवेदन पत्र एवं शपथ पत्रों का प्रारूप जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर महानगर के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है।

10– **<u>आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि</u>** :–
आवेदन पत्र दिनांक **<u>7–8–2014</u>** को कार्यालय समय सांय 5.00 बजे तक इस कार्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं अथवा डाक से इस कार्यालय में प्रेषित किये जा सकते हैं। राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। इस विज्ञप्ति के जारी होने से पूर्व में प्राप्त एवं विज्ञप्ति की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा। इसी प्रकार अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

11– **<u>साक्षात्कार</u>** :–
आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक प्राप्त जिन आवेदकों के आवेदन पत्र बाद जांच सही पाये जायेंगें, उन आवेदकों की सूची जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर महानगर के नोटिस बोर्ड पर दिनांक **<u>18–8–2014</u>** को चस्पा कर दी जाएगी व इस न्यायालय की वेबसाईट **http://ecourts.gov.in/jodhpurmetro** पर अपलोड की जायेगी, जिसमें साक्षात्कार की दिनांक, समय एवं स्थान अंकित किया जाएगा। साक्षात्कार के सम्बन्ध में पृथक से कोई सूचना आवेदक को इस कार्यालय द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को इस कार्यालय द्वारा किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। उपरोक्त साक्षात्कार की तिथि में परिवर्तन किये जाने की स्थिति में साक्षात्कार की तिथि एक दिन पूर्व जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर महानगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी तथा इस न्यायालय की वेबसाईट **http://ecourts.gov.in/jodhpurmetro** पर अपलोड की जायेगी और इसकी जानकारी करने की जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी तथा उक्त बाबत् आवेदक को इस कार्यालय द्वारा पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

12– **<u>आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि एवं शपथ पत्र संलग्न किये जाने चाहिये</u>** :–
(1)– जन्म–तिथि प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति

(2)– शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां

(3)– अन्य कोई दक्षता/योग्यता/अनुभव हो तो तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति

(4)– आरक्षण सम्बन्धी / आयु सीमा में छूट चाहने चाहने सम्बन्धी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति

(5)– विधवा महिला के पति की मृत्यु बाबत् सक्षम अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र एवं तलाकशुदा महिला के विवाह विच्छेद की सक्षम न्यायालय से पारित विवाह विच्छेद की डिकी अथवा प्रमाण पत्र

(6)– छह माह की अवधि के अन्दर के दो उत्तरदायी व्यक्तियों (जो आवेदक के रिश्तेदार नहीं हों) के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र

(7)– दोषसिद्धि नहीं होने के बारे में शपथ पत्र।

(8)– विवाहित आवेदक को दिनांक 1–6–2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान नहीं होने बाबत् आवेदन पत्र के संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र

(9)– विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि अथवा आवेदन पत्र के संलग्न प्रारूप संख्या 6 में शपथ पत्र

(10)– आवेदक के जिला नियोजन पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि

(11)– स्वयं का पता लिखा हुआ एवं पांच रूपये का डाक टिकट लगा लगा हुआ एक लिफाफा

नोट :– आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे उपरोक्त प्रमाण पत्र/शपथ पत्र आदि की सूची आवेदक को अपने स्वयं के हाथ से आवेदन पत्र के पीछे क्रमवार लिखनी होगी एवं इसके नीचे अपने हस्ताक्षर करने होंगें।

13– **अन्य** :–

(1)– आवेदक द्वारा इस भर्ती में अपने पक्ष का समर्थन प्राप्त करने हेतु किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न/सिफारिश पर उसे इस पद की भर्ती के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

(2)– कोई भी पुरूष या महिला आवेदक जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी।

(3)– ऐसा विवाहित आवेदक जिसने विवाह में दहेज स्वीकार किया हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी।

(4)– ऐसे आवेदक जिनको राजस्थान लोक सेवा आयोग या अन्य किसी भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गलत या कूटरचित प्रलेख, सूचना प्रेषित करने एवं अनुचित साधन प्रयोग में लाये जाने का दोषी किया गया है, वह इस पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(5)– उपरोक्त पद पूर्णतः अस्थाई है।

(6)– उपरोक्त विज्ञप्ति में प्रकाशित तिथियों में परिवर्तन का पूर्ण अधिकार इस कार्यालय को होगा। तिथियों में यदि कोई परिवर्तन

होता है तो इसकी सूचना जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर महानगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी और इस न्यायालय की वेबसाईट **http://ecourts.gov.in/jodhpurmetro** पर अपलोड की जायेगी, जिसकी पृथक से कोई सूचना किसी भी अभ्यर्थी को प्रेषित नहीं की जायेगी। इसकी जानकारी करने की जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी। साक्षात्कार में सफल पाये जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी।

नोट : सम्पूर्ण विज्ञप्ति इस न्यायालय की वेबसाईट **http://ecourts.gov.in/jodhpurmetro** व इस कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है।

अध्यक्ष,
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्ति कमेटी 2014
जिला एवं सेशन न्यायालय,
जोधपुर महानगर।

प्रारूप संख्या – 6

–: श प थ – प त्र :–

(10/– रूपये नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी तस्दीक किया हुआ)

मैं श्री/सुश्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... निवासी .... शपथपूर्वक बयान करता/करती हूं कि :–

मेरा विवाह श्रीमती/श्री .... निवासी .... के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीकरण दिनांक 22–5–2006 को लागू होने से पूर्व, दिनांक .... को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री .... निवासी .... के साथ दिनांक .... को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं .... अविवाहित हूं।

या

मैं .... विधुर/विधवा हूं, मेरे पत्नी/पति का नाम श्री/श्रीमती .... था जिसका देहान्त दिनांक .... को हो गया। (प्रमाण पत्र संलग्न है।)

या

मैं .... तलाकशुदा हूं। (प्रमाण पत्र संलग्न है।)

या

मैं परित्यक्ता हूं एवं मेरा विवाह श्री .... के साथ दिनांक .... को सम्पन्न हुआ था।

तथा

मुझे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है एवं न ही मेरे विरूद्ध किसी प्रकार का दाण्डिक मामला न्यायालय में लम्बित है।

शपथकर्त्ता

सत्यापन : मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... आज बमुकाम .... में शपथपूर्वक सत्यापित करता/करती हूं कि इस शपथ पत्र में वर्णित उक्त सभी तथ्य मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य हैं, इसका कोई भाग गलत नहीं है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। इति दिनांक :

स्थान :

शपथकर्त्ता

(10/– रूपये नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी तस्दीक किया हुआ)

–: घोषणा पत्र :–

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री .... निवासी .... यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरे दिनांक 1–6–2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान उत्पन्न नहीं हुई है तथा विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं किया है।

या

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री .... निवासी .... यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं अविवाहित हूं तथा विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं करूंगा।

हस्ताक्षर घोषणाकर्त्ता

स्थान :
दिनांक :

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का
नवीनतम फोटो
मय हस्ताक्षर

1– नाम : ....

2– पिता का नाम : ....

3– विवाहित होने की दशा में
पति/पत्नी का नाम : ....

4– जन्म दिनांक (अंकों में) : ....
(शब्दों में) : ....

5– राष्ट्रीयता : ....

6– जाति : ....

7– आरक्षित वर्ग का नाम : ....

8– स्थाई पता : ....

9– वर्तमान पता : ....

10– मोबाईल/दूरभाष नम्बर : ....

11– नियोजन कार्यालय में
पंजीयन संख्या व स्थान : ....

12– शैक्षणिक योग्यता : ....

13– दिनांक 1–1–2015 को आयु : वर्ष .... माह .... दिन ....

14– अन्य कोई अनुभव / योग्यता : ....

15– वर्तमान नियुक्ति यदि कोई हो :
पद सेवा की अवधि एवं पदनाम : ....

16– अग्रेषण अधिकारी का नाम, पदनाम,
यदि अभ्यर्थी पूर्व में सेवारत है : ....

स्थान :
दिनांक : **हस्ताक्षर अभ्यर्थी मय पता**

मैं, ... सत्यापिता करता/करती हूं कि आवेदन पत्र में अंकित उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी में सत्य हैं।

स्थान :
दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर

नोट :– आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे प्रमाण पत्र/शपथ पत्र आदि की सूची आवेदक स्वयं अपने हाथ से आवेदन पत्र के पीछे क्रमवार अंकित कर अन्त में हस्ताक्षर करे।